

शपथ – पत्र

समक्ष – अध्यक्ष महोदय / मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ़ बोर्ड, लखनऊ

हलफनामा मिनजानिबः– (1)

(2)

(3)

1. यह कि वक्फ़ मरिजद स्थित जिला सम्भवतः बोर्ड के अभिलेखों में दर्ज नहीं है।
2. यह कि उपरोक्त वक्फ़ मरिजद के प्रबन्ध के लिए दिनांक को एक मीटिंग स्थानीय अवाम की हुई, जिसमें निम्न कमेटी का सर्वसम्मति से चुना हुआ:-
 1. श्री पुत्र नि० – अध्यक्ष
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
3. यह कि वक्फ़ उपरोक्त में कमेटी में प्रबन्ध समिति का कब्जा व दखल है।
4. यह कि मरिजद की चौहांडी निम्न प्रकार है:-
 पूरब – पश्चिम – उत्तर – दक्षिण –
 पैमाइश – लम्बाई – चौड़ाई – कुल रकबा एसक्वायर फिट
5. यह कि आवेदन / आवेदन की प्रबन्ध समिति द्वारा ही वक्फ़ सम्पत्ति का प्रबन्ध किया जा रहा है और प्रबन्ध के सम्बन्ध में न तो कोई विवाद है और न ही किसी अन्य का वक्फ़ के प्रबन्ध में कोई सम्बन्ध है।
6. यह कि वक्फ़ के प्रबन्ध के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में किसी तरह का कोई वाद विचाराधीन नहीं है।
7. यह कि आवेदक / आवेदक की प्रबन्ध समिति का कोई पदाधिकारी / सदस्य प्रश्नगत वक्फ़ सम्पत्ति का किरायेदार या पटेदार नहीं है।
8. यह कि प्रश्नगत वक्फ़ के आवेदक / प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी / सदस्य का कोई करीबी रिश्तेदार माता-पिता, पति-पत्नी, लड़का-लड़की, बहन-भाई, भाई की पत्नी व बहन के पति, भतीजा-भतीजी वक्फ़ सम्पत्ति के किरायेदार / पटेदार नहीं है।
9. यह कि बयान हल्फी में अंकित कोई तथ्य गलत होने पर बोर्ड प्रबन्ध समिति / मुतवल्ली की स्वीकृत आदेश और तौलियत सर्टिफिकेट / कार्यालय ज्ञाप आवेदक को बगैर नोटिस दिये वापस लेने व निरस्त करने का अधिकार होगा, जो आवेदन पर बाध्यकारी होगा।

दिनांक :

शपथीगण – (1)

(2)

(3)